म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/परि.पेंशन/2310 भोपाल, दिनांक 18/11/2021

प्रति,

1. संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)

2. कार्यपालन यंत्री,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी कार्यालय .... (समस्त)

3. सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
.... जिला .... (समस्त)

विषयः—परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अंर्तगत वेतन से कटौत्रा राशि की जानकारी उपलब्ध कराने बावत्।

——0——

राज्य मंडी बोर्ड सेवा में 2005 से नियुक्त अधिकारियो/कर्मचारियो के लिये नवीन पेंशन योजना लागू है, जिनका स्थानांतरण कार्य निष्पादन के दौरान अन्यत्र होता है जिससे वे विभिन्न कार्यालयो (यथा आंचलिक कार्यालय/तकनीकी कार्यालय और मंडी समितियों) में पदस्थ होते है। चूंकि उनकी पदस्थी स्थल से ही एन0पी0एस0 कटौत्रा राशि मुख्यालय को प्रेषित की जाती है। अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि कितनी ही बार यह जानकारी त्रुटिपूर्ण या भ्रम पैदा करने वाली होती है, जिससे भेजी गई राशि के संबंध में अस्पष्टता परिलक्षित होती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आंचलिक कार्यालय/तकनीकी कार्यालय और मंडी समितियों से जानकारी संबंधित अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा मांग किये जाने पर कार्यालय प्रमुख का दायित्व है कि संबंधित कर्मचारियो को उपलब्ध कराई जावे। किसी अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा वेतन से परिभाषित अंशदान/एन0पी0एस0 कटौत्रा की जानकारी की मांग की जाती है तो माहवार कटौत्रा, नियोक्ता अंशदान का विवरण पत्रक प्रेषित डी0डी0 क्रमांक/आर0टी0जी0एस0 द्वारा प्रेषित यू0टी0आर0 क्रमांक दिनांक सहित माहवार विवरण पत्रक तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुये यह जानकारी संबंधित के आवेदन सहित मुख्यालय को अपर संचालक वित्त के ई—मेल **adfmpsamb@gmail.com** पर भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।

अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.